

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 390/11

संस्थापन दिनांक:-25/11/11

फाईलिंग नं. 233504000612011

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,

आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

### **वि रु द्ध**

1. संदीप पिता टेटू मासोदकर, उम्र 30 वर्ष  
निवासी पटवारी कॉलोनी बैतूल,  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. सुमित पिता मदनलाल राठौर, उम्र 31 वर्ष  
निवासी राजेंद्र वार्ड बैतूल  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. रोहित पिता रमेश, उम्र 26 वर्ष (फरार घोषित)  
निवासी भग्गूढाना बैतूल,  
थाना बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**-(नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 10.10.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध म.प्र. वनोजप व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 16 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27.08.2011 को प्रातः 10:30 बजे या उसके लगभग वन परिक्षेत्र आमला की परिसीमा में हसलपुर से बैतूल पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग के बीच रामटेक मंदिर हसलपुर के पास बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना अभिवहन पास के 19 नग सागौन की चरपट का परिवहन किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त रोहित के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2017 को धारा 299 दं.प्र.सं. की कार्यवाही की गयी है। यह निर्णय केवल अभियुक्तगण संदीप एवं सुमित के संबंध में द घोषित किया जा रहा है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2011 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर परिक्षेत्र अधिकारी आमला (सामान्य), परिक्षेत्र सहायक आमला, परिक्षेत्र सहायक मोवाड़ एवं आमला परिक्षेत्र के अन्य स्टाफ के साथ उड़नदस्ता शासकीय वाहन एमपी-02-एवी-1313 से ग्राम हसलपुर रामदेव बाबा मंदिर के पास हसलपुर से बैतूल जाने वाले पीडब्ल्यूडी मार्ग के किनारे बने छोटें मंदिर के पास पहुंचे। जहां तीन आदमी खड़े थे और उनके पास दो बोरे भरे हुए रखे थे। जिन्हें वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा घेरकर पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम रोहित, सुमित, संदीप बताया तथा बोरे में लकड़ी के कटे हुए टुकड़े रखे होना बताया। बोरे खोलकर देखने पर उसमें सागौन लकड़ी के टुकड़े काटकर भरे हुए थे तथा अभियुक्तगण ने उक्त लकड़ी के संबंध में कोई वैध कागजात न होना बताया। तत्पश्चात लकड़ी का नापजोप कर मौके का जप्तीनामा पंचनामा तैयार कर प्रकरण क. 504/27 जारी किया गया। वनोपज की सूची तैयार की गयी। मौका नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्तगण के बयान लेख किये गये तथा उन्हें गिरफ्तार किया गया। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना अभिवहन पास के 19 नग सागौन की चरपट का परिवहन किया ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

**विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण**

6 कृष्णकुमार बामने (अ.सा.-2), पवनसिंह (अ.सा.-3), रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में दिनांक 27.08.2011 को क्रमशः मोवाड़ वृत्त में वनरक्षक, बरसाली बीट में वनरक्षक, मोवाड़ परिक्षेत्र में परिक्षेत्र सहायक के पद

पर पदस्थ होना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को वे अन्य स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे थे।

7 कृष्णकुमार बामने (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वह शासकीय वाहन से ग्राम हसलपुर मौके पर पहुंचा था तब वहां पर अभियुक्तगण मोटर सायकिल पर बोरे में भरकर सागौन की लकड़ी के टुकड़े ले जाते हुए मिले थे जिनसे मौके पर ही लकड़ियां जप्त की गयीं। तत्पश्चात अभियुक्तगण को जप्तशुदा माल सहित आमला वन परिक्षेत्र कार्यालय लेकर आ गये थे। पवनसिंह (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह वन स्टाफ के साथ हसलपुर रोड बैतूल पर पहुंचा था तब अभियुक्तगण संदिग्ध अवस्था में मिले थे जिन्हें घेरकर बोरी में रखे सागौन के 19 टुकड़े जप्त किये गये थे और जप्तीनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था। रामचंद्र कवड़े (अ. सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब वह वन स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा था तब छोटे मंदिर चबूतरों के पास तीन व्यक्ति बोरे लेकर खड़े थे जब उनसे पूछा गया कि बोरे में क्या रखा है तब उन्होंने सागौन के टुकड़े रखे होना बताया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि मौके पर लकड़ियों की नापजोप कर जप्तीनामा और पंचनामा बनाया गया था। मौके का नक्शा (प्रदर्श पी-6) बी.पी. तिवारी के द्वारा बनाया गया था।

8 जयपाल (अ.सा.-2) जो कि स्वतंत्र साक्षी है उसने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि वन विभाग वालों ने उसके सामने अभियुक्तगण से दो बोरे में रखी सागौन की लकड़ी जप्त की थी, मौके का पंचनामा (प्रदर्श पी-1) तैयार किया था तथा लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। संतोष (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह दिनांक 27.08.2011 को बीट ठानी परिक्षेत्र आमला में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके समक्ष अभियुक्तगण के कथन लिये गये थे।

9 जयपाल (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि लकड़ियां कहां से लायी गयी थी। स्वतः कहा कि टेकरी से उड़नदस्ते से लायी गयी थी। टेकरी में लकड़ियां कहां से आयी थी, किसने लायी थी उसे इस बात की जानकारी नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया है कि लकड़ियां किससे जप्त की गयी थी उसे नहीं मालूम। स्वतः कहा अभियुक्तगण से जप्त की गयी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि किस अभियुक्त से कितनी लकड़ी जप्त हुई थी उसकी उसे जानकारी नहीं है। उससे कुछ कागजों पर साईन करने को कहा गया था तो उसने कर दिया था। घटना स्थल से लकड़ियां उठाई और उसके बाद वन विभाग के कार्यालय आमला आ

गये थे। इसके बाद क्या कार्यवाही की गयी उसकी उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है जिससे साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

10 कृष्णकुमार बामने (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना स्थल कहां का है। स्वतः में कहा कि रामटेक बाबा की टेकरी के नीचे मेन रोड की है। इस सुझाव को गलत बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तब 8-10 लोग मौजूद थे। स्वतः कहा कि केवल दो लोग थे। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि घटना स्थल पर रोड पर बोरे में लकड़ी रखी थी। स्वतः कहा एक बोरा गाड़ी पर था और एक बोरा नीचे था। इस सुझाव को सही बताया है कि सारी कार्यवाही वन परिक्षेत्र कार्यालय में की गयी थी। स्वतः कहा पंचनामा मौके पर बनाया गया था।

11 रामचंद्र कवड़े (अ.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) में जप्ती करने का समय लेख नहीं है। घटना स्थल रामटेक हसलपुर की टेकरी के किनारे पीडब्ल्यूडी मार्ग चबूतरे के पास की है। इस सुझाव को गलत बताया है कि जप्तशुदा लकड़ी खुले स्थान पर पड़ी हुई थी। स्वतः कहा अभियुक्तगण के पास बोरे में थी। अभियुक्तगण चबूतरे में खड़े थे और पास में बोरे रखे थे। इस सुझाव को गलत बताया है कि मौके पर अन्य लोग भी थे।

12 पवनसिंह (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने लकड़ी के जो टुकड़े जप्त किये थे वो बोरे में जमीन पर रखे हुए थे। लकड़ी के टुकड़े खुले स्थान में छोटे मंदिर के पीछे छिपाकर रखे हुए थे। अभियुक्तगण को रामदेव मंदिर से 15 फिट की दूरी पर पकड़ा गया था। जब जप्ती की कार्यवाही की गयी तब लकड़ी के बोरे अभियुक्तगण के हाथ में नहीं थे। लकड़ी के टुकड़े बोरे में रामदेव बाबा के मंदिर के पीछे छिपे हुए थे। वहां पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इस सुझाव को सही बताया है कि लकड़ी के टुकड़े छिपाकर रखे गये थे इसलिए वह नहीं बता सकता कि किस अभियुक्त से कितने नग लकड़ी जप्त की गयी थी। जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-2) उसके द्वारा वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला में आकर तैयार किया गया था। वहीं पर गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये थे। मौके पर न तो जप्तशुदा लकड़ी की सूची तैयार की गयी थी और न ही जप्ती की कार्यवाही की गयी थी। मौके पर जप्तशुदा लकड़ी को सीलबंद भी नहीं किया गया था और न ही उनकी गिनती कर नाप किया गया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में इस सुझाव को सही बताया है कि जप्तशुदा लकड़ी अभियुक्तगण में से किसकी थी वह नहीं बता सकता। यदि किसी अन्य की हो तो यह भी वह नहीं बता सकता है। इस सुझाव को भी सही

बताया है कि लकड़ी हसलपुर रामदेव मंदिर के पीछे से निकाली गयी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में इस सुझाव को सही बताया है कि जप्ती की कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर की गयी थी और हस्ताक्षर परिक्षेत्र कार्यालय में लिए गये थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 07 में इस बात को सही बताया है कि जप्ती पत्रक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि जप्तशुदा लकड़ी की नाप किससे की गयी थी और मौके पर लकड़ी किससे नापी गयी थी इस बात का भी उल्लेख नहीं है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मौके पर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गयी थी, सीधे गाड़ी में लकड़ी डाली और वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला लेकर आ गये थे।

13 रामचंद कवड़े (अ.सा.-4), पवनसिंह (अ.सा.-3), कृष्णकुमार बामने (अ.सा.-1) वन विभाग के कर्मचारी हैं। तीनों ही साक्षीगण मौके पर उपस्थित थे परंतु उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है। साक्षी रामचंद कवड़े (अ.सा.-4) ने अपने कथनों में यह बताया है कि अभियुक्तगण के पास बोरे में लकड़ियां रखी हुई थी। जबकि साक्षी कृष्णकुमार बामने (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे थे तब अभियुक्तगण मोटर सायकिल में लकड़ी रखकर ले जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि एक बोरा गाड़ी पर था और एक बोरा नीचे था। पवनसिंह (अ.सा.-3) जो कि जप्तीकर्ता अधिकारी है जिसके द्वारा अभियुक्तगण से लकड़ियां जप्त की गयी थी। साक्षी ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि लकड़ी के टुकड़े खुले स्थान से रामदेव बाबा के छोटे मंदिर के पीछे छिपाकर रखे गये थे वहीं से जप्त किये गये थे। यह भी बताया है कि जब वे मौके पर पहुंचे तब अभियुक्तगण के हाथ में बोरे नहीं थे। साक्षी ने अपने परीक्षण में यह भी बताया है कि लकड़ियां रामदेव मंदिर के पीछे से निकाली गयी थी इसलिए जप्तशुदा लकड़ियां अभियुक्तगण में से किसकी थी यह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि लकड़ियां किसी अन्य की भी हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार अभियुक्तगण के पास से लकड़ियां मिलने के संबंध में तीनों साक्षीगण के कथनों में अत्यन्त विरोधाभास है।

14 साक्षी पवनसिंह (अ.सा.-3) जो कि मुख्य जप्तीकर्ता अधिकारी है। साक्षी ने अपने कथनों में स्वयं के द्वारा की गयी जप्ती की कार्यवाही को ध्वस्त कर दिया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण से लकड़ी खुले स्थान से जप्त की गयी थी। किस अभियुक्तगण से कितनी लकड़ी जप्त की गयी थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। जप्तीनामा (प्रदर्श पी-2) वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला में तैयार किया गया था वहीं पर गवाहों के हस्ताक्षर लिए गये थे। जप्तशुदा लकड़ी 19 नग बोरे में रखी हुई थी जिन्हें मौके पर सील नहीं किया गया था, मौके पर जप्त भी नहीं किया गया था न ही

लकड़ियों की नाप और गिनती मौके पर की गयी थी। साथ ही जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-2) में जप्ती का समय भी लेख नहीं किया गया है। फलतः अभियुक्तगण से जप्ती की कार्यवाही अत्यन्त संदेहास्पद हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना अभिवहन पास के 19 नग सागौन की चरपट का परिवहन किया। फलतः अभियुक्तगण संदीप एवं सुमित को म.प्र. वनोदय व्यापार अधिनियम 1969 की धारा 16 सहपठित धारा 5 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17 प्रकरण में जप्तशुदा 19 नग सागौन की चरपट के संबंध में दिनांक 15.04.2015 को विक्रय कर राशि शासकीय कोषालय में जमा करने के संबंध में आदेश किया जा चुका है। उक्त संपत्ति के संबंध में अंतिम आदेश अभियुक्त रोहित के संबंध में निर्णय पारित करते समय किया जावेगा।

18 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19 प्रकरण में अभियुक्त रोहित फरार है। अतः प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार जमा हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)